

पथ निर्माण विभागदिनांक 25/8/2026 को सम्पन्न परिवार समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, सुपौल अन्तर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance Works Under OPRMC-III, Package No.-15A/Supaul कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में प्राप्त परिवार पर विभागीय पत्रांक-2217(E) दिनांक-01.04.2026, पत्रांक-2360(E) दिनांक-09.04.2026 एवं विभागीय ज्ञापांक-5625 (E) दिनांक-17.08.2026 द्वारा गठित समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री अभिषेक पलासिया, संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री राजेश कुमार गुप्ता, मुख्य अभियंता, संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री सुनील कुमार सुमन, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. दिनांक-13.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही, जो उपभागीय ज्ञापांक-1337 दिनांक-13.08.2026 द्वारा संसूचित है, में लिये गये निर्णय के विरुद्ध प्राप्त परिवार पर मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1396(अनु०) दिनांक-22.08.2026 के माध्यम से परिवार पर दिनांक-22.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही एवं अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | | |
|------|--|---|--|
| 2.1 | कार्य का नाम एवं पैकेज संख्या | : | Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance Works Under OPRMC-III, Package No.-15A/Supaul |
| 2.2 | योजना मद | : | 3054 |
| 2.3 | निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल सुपौल |
| 2.4 | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹11337.14 लाख।
विभागीय पत्रांक-3247 (एस) दिनांक-12.05.2026 |
| 2.5 | तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹13435.58 लाख,
मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-917 (अनु०), दिनांक-24.05.2026 |
| 2.6 | ECV/परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹11565.67 लाख। |
| 2.7 | कार्य समाप्ति की अवधि | : | 84 (Eighty-four) Months. |
| 2.8 | निविदा की प्रक्रिया | : | ई-टेंडरिंग (MBD) |
| 2.9 | निविदा प्राप्ति की तिथि | : | 03.07.2026 |
| 2.10 | प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण | : | पुनर्निविदा नहीं है। |

3. विषयांकित निविदा में निम्नलिखित 06 (छः) संवेदकों द्वारा भाग लिया गया :-

(1) Ujjain Engicon India Pvt. Ltd

(2) M/S K D Company

(3) M/S RKS Engicon Pvt. Ltd

(4) SPS Construction India Pvt. Ltd

(5) Agrawal Infrabuild Pvt. Ltd

(6) Vinod Kumar Jain

4. उपभागीय ज्ञापांक-1337 दिनांक-13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक-13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक में उक्त निविदा में कुल छः निविदाकारों में से तीन निविदाकार यथा (1) Ujjain Engicon India Pvt. Ltd (2) M/S K D Company एवं (3) M/S RKS Engicon Pvt. Ltd को तकनीकी बीड में सफल घोषित किये गये। 03 (तीन) निविदाकार यथा (1) M/S SPS Construction India Private Limited एवं (2) Agrawal Infrabuild Pvt. Ltd एवं (3) Vinod Kumar Jain को MBD आधारित निविदा की वाँछित न्यूनतम अर्हता पूर्ण नहीं करने के कारण तकनीकी बीड में असफल घोषित किया गया।

उक्त के आलोक में निविदाकार Vinod Kumar Jain द्वारा दिनांक-17.08.2026 को उपभागीय कार्यालय में परिवाद समर्पित किया गया।

5. उपभागीय ज्ञापांक-1337 दिनांक-13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक-13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की निर्णय के विरुद्ध विषयांकित कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में असफल निविदाकार यथा Vinod Kumar Jain के पत्रांक-VKJ/OPRMC/017 दिनांक-16.08.2026 द्वारा कार्यालय में परिवाद/अभ्यावेदन/आपत्ति समर्पित किये जाने के परिप्रेक्ष्य में मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1396(अनु०) दिनांक-22.08.2026 द्वारा परिवाद पर दिनांक-22.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा समर्पित की गई है।

6. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त निर्णय के विरुद्ध तकनीकी बीड में असफल निविदाकार Vinod Kumar Jain के पत्रांक-VKJ/OPRMC/017 दिनांक-16.08.2026 द्वारा परिवाद समर्पित किया गया है।

परिवाद/आपत्ति की समीक्षा :-

परिवाद/आपत्ति	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा परिवाद की समीक्षा एवं निर्णय/अनुशंसा	परिवाद समिति की अनुशंसा
1 Vinod Kumar Jain An advocate welfare stamp is not governed by the Indian Stamp Act, 1899. Instead, it is mandated by specific State Advocates' Welfare Fund Acts or the central Advocates' Welfare Fund Act, 2001, and it is legally required to be affixed on a Vakalatnama, not strictly on an ordinary affidavit to make the affidavit valid. The welfare stamp is a statutory requirement meant to be pasted and cancelled on a	निविदाकार द्वारा इस निविदा में Uploaded वाँछित शपथ-पत्र पर Additional रू०-25/- का Advocate Welfare stamp affix नहीं किया गया है। विभागीय पत्रांक-3608 (E) दिनांक-22.05.2020 द्वारा किये गये प्रावधान की It is Mandatory	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।

Vakalatnama (the authorization document given to a lawyer) to fund the welfare and social security of advocates. Whereas, the validity of an affidavit itself falls under the Code of Civil Procedure (CPC), the Oaths Act, and the general stamp duty requirements for affidavits under the Indian Stamp Act, 1899 (or state amendments), rather than advocate welfare legislation. Since the submitted Affidavit is not a Vakalatnama mandated to be affixed under specific State Advocates' Welfare Fund Acts or the central Advocates' Welfare Fund Act, 2001, rather it is a document falls under the Code of Civil Procedure (CPC), the Oaths Act, and the general stamp duty requirements for affidavits under the Indian Stamp Act, 1899 (or state amendments), hence Advocate Welfare Stamp is not required to be affixed on the Affidavit.	to attached Rs. 25/- Advocate Welfare Stamp on affidavit for Advocate Welfare Fund एवं तदनुसार MBD NIT की कडिका-28 पर निर्दिष्ट उक्त वांछित अहर्ता का अनुपालन इनके द्वारा नहीं किया गया है। निविदाकार द्वारा तकनीकी बीड मूल्यांकन के उपरांत अपने परिवाद में उक्त निविदा शर्त पर प्रश्न उठाया गया है, जबकि विषयगत निविदा में दिनांक-10.06.2026 को आयोजित Pre Bid Meeting में इनके द्वारा निविदा के इस शर्त के संबंध में कोई आपत्ति प्रतिवेदित नहीं की गयी। अतः निविदाकार की आपत्ति को अमान्य किया जा सकता है।	
01 Work supporting certificate issued by Engineer-in-Charge not attached. The Contractor/ Bidder in said respect has submitted (i) Work Orders for projects where work has commenced recently but no billing has taken place, hence the Engineer-in-Charge's work-supporting certificate could not been issued; (ii) Regarding 01 work for which the Engineer-in- Charge's certificate could not be obtained due to unavoidable reasons. Since the Engineer-in-Charge's certificate has already been submitted for the majority of the works, non-submission of 01 work certificates due to unavoidable reasons cannot be grounds for declaring the bid non-responsive.	निविदाकार द्वारा इस निविदा में Uploaded Exiting Commitment विवरणी के क्रम सं०-5 पर वर्णित कार्य से संबंधित Engineer-in-charge द्वारा निर्गत अभिलेख Upload नहीं किया गया है। MBD के Section-3, 1.2.3 में Exiting Commitment के संबंध में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि Current Contract Commitments must be duly certified by the Engineer-in-charge. अतः निविदाकार की आपत्ति को अमान्य किया जा सकता है।	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।

7. परिवाद की समीक्षा एवं तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा :-

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में उपभागीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक-13.08.2026 को संपन्न बैठक में लिये गये निर्णय को यथावत रखा जा सकता है।



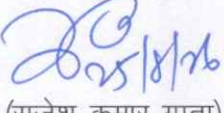


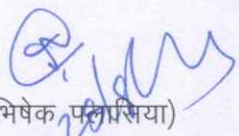
8. परिवाद समिति का निर्णय :-

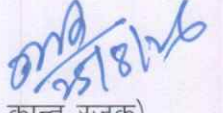
- (i) विषयांकित कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में असफल निविदाकार यथा Vinod Kumar Jain के पत्रांक-VKJ/OPRMC/017 दिनांक-16.08.2026 के द्वारा दिए गए परिवाद/आपत्ति को अमान्य किया जाता है।
- (ii) तीन निविदाकार यथा (1) M/S SPS Construction India Private Limited को MBD के Section 3: Clause 2.6 एवं NIT की कंडिका 28 (2) Agrawal Infrabuild Pvt. Ltd को MBD के Clause 17, Section 4B तथा (3) Vinod Kumar Jain को MBD के Section 3: Clause 1.2.3 एवं NIT की कंडिका 28 के आलोक में तकनीकी बीड में असफल घोषित किया गया।
- (iii) तीन निविदाकार यथा (1) Ujjain Engicon India Pvt. Ltd (2) M/S K D Company एवं (3) M/S RKS Engicon Pvt. Ltd को निविदा की वांछित अर्हता पूर्ण करने के कारण तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है। तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का वित्तीय बीड खोलने का निदेश मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को दिया गया।
- (iv) उपभागीय ज्ञापांक-1337 दिनांक-13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक-13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णय को यथावत् रखने का निर्णय लिया गया।
- (v) मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग संबंधित परिवादी बीडर को समिति के निर्णय से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

8.1 परिवाद समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


(सुनील कुमार सुमन)
मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग, पथ
निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।


(राजेश कुमार गुप्ता)
मुख्य अभियंता, संविदा
प्रबंधन, नीतिगत मामले
एवं लेखा परीक्षा,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(अभिषेक प्रसाद)
संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

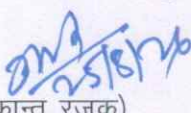

(उमा कान्त रजक)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-03-91/2026

5901(E)

पटना, दिनांक 25/8/26

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(उमा कान्त रजक)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।